क्रमांक:ईडीएन/ शिक्षा-कांगड़ा(जी.3)-विविध/2019 - 4041
कार्यालय उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।
दिनांक: धर्मशाला-176215 01 अगस्त , 2019

प्रेषक: उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।

प्रेषित: समस्त खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी
ज़िला कांगड़ा (हि॰प्र॰)

विषय:- **मुख्यमंत्री हरित विधालय अभियान -2019**

ज्ञापन:-

अवगत करवाया जाता है कि प्रदेश के सभी राजकीय तथा सम्बद्ता प्राप्त निजी पाठशालाओं को हरा भरा रखने तथा विधालयों में पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के उदेश्य से हि॰प्र॰ शिक्षा विभाग "मुख्यमंत्री हरित विधालय अभियान" का शुभारम्भ अगस्त 2019 से किया जा रहा है । इस अभियान का शुभारम्भ माननीय मुख्यमंत्री हि॰प्र॰ द्वारा 07 अगस्त 2019 से ज़िला ऊना में किया जा रहा है तथा समापन समारोह धर्मशाला में 17 अगस्त 2019 को माननीय मुख्यमंत्री हि॰प्र॰ द्वारा ही किया जायेगा ।

अत: इस संदर्भ में समस्त खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी ज़िला कांगड़ा (हि॰प्र॰) को आदेश दिये जाते हैं कि वह सभी राजकीय तथा सम्बद्ता प्राप्त निजी पाठशालाओ के प्रांगण में कम से कम 10 पौधे अवश्य लगाएँ । पौधों के प्रबन्ध के लिए वह वन बिभाग या बागवानी विभाग से सम्पर्क करें । यदि किसी पाठशाला में पौधारोपण हेतु जमीन उपलब्ध नहीं है या इसके लिए वह वन विभाग से सम्पर्क करके चिन्हित स्थान पर पौधारोपण करें ।

आपको यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पौधों के चयन में नींबू प्रजाति एवम फलदार पौधों को अधिमान दें एवम अधिक जल अवशोषित करने वाले पौधों को न लगाएँ । इस के लिए आप RMSA Fund या AF Fund का प्रयोग कर सकते हैं ।

इस अभियान में सभी पाठशालाएं बढ़चढ़ कर भाग लें क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इसे सभी पाठशालाओं के लिए अनिवार्य किया गया है। अत: आप पौधारोपण के पश्चात इसकी विस्तृत रिपोर्ट फोटो सहित निम्न प्रपत्र पर सबंधित खण्ड स्त्रोत समन्वयक प्राइमरी (BRC Primary) को 13-08-2019 तक भेजना सुनिश्चित करें ताकि सभी पाठशालाओं की समेकित सूचना माननीय मुख्यमंत्री हि॰प्र॰ को 17-08-2019 को समापन समारोह में सौंपी जा सके ।

क्रमांक	पाठशाला व खण्ड का नाम	पौधों के प्रकार एवम संख्या			विवरण
		नींबू प्रजाति	फलदार	अन्य	

Rhca

उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
कांगड़ा स्थित धर्मशाला

प्रतिलिपि:- समस्त बी॰आर॰सी॰ (प्राइमरी) को इस आशय के साथ सूचना व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है कि वह उक्त वांछित सूचना अपने-अपने खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयके माध्यम से समेकित करने के पश्चात इस कार्यालय को दिनांक 14/08/2019 तक उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।

नोट:- कृपया इसे अति आवश्यक एवम समयबद्ध समझा जाए अन्यथा निर्देशों की अवहेलना की स्थिति में सबंधित खण्ड प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी/ बी॰आर॰सी॰ (प्राइमरी) के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही अमल में लाई ~~जा सके।~~ जाऐगी ।

Sd/-

उप निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा
कांगड़ा स्थित धर्मशाला